


**दिल्ली विकास प्राधिकरण**

**[वित्त तथा व्यय]**

**एफ एवं ई परिपत्र संख्या 20/ 2013**

डीडीए और अन्य विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/ पदाधिकारियों/ पूर्व-सैनिक/ डीजीआर कार्मिकों को डीडीए में परामर्शदाता/ सलाहकारों आदि के पद पर तैनाती के लिए नए नीतिगत दिशानिर्देश/ शर्तों एवं निबंधनों की सूचना दिनांक 25.07.2013 के एफ एंड ई परिपत्र संख्या 14/2013 के तहत दी गई है।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नए नीतिगत दिशानिर्देश/शर्तें एवं निबंधन उन सभी परामर्शदाताओं/ सलाहकारों की नियुक्ति के सभी मामलों पर भी लागू होगा जिनके नियुक्ति एफ एवं ई परिपत्र संख्या 14/2013 जारी होने से पहले हुई है।



**[मनीष कुमार]**

**मुख्य लेखा अधिकारी**

**सं. एफई.16(24) 2008/ डीडीए भाग/ 523**

**दिनांक: 5.9.13**

**प्रतिलिपि:-**

1. पत्र की सूचना के लिए विशेष कार्याधिकारी, उपाध्यक्ष, डीडीए;
2. निजी सचिव, एफएम/ ईएम/ पीसी, डीडीए;
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी/ सी.एल.ए., डीडीए;
4. श्री वी.के. दयालु, सलाहकार, उपाध्यक्ष (एसए तथा जीआर), डीडीए
5. सभी आयुक्त/ आयुक्त-सह-सचिव, डीडीए;
6. सभी मुख्य अभियंता/ मुख्य वास्तुकार, डीडीए;
7. निदेशक (कार्मिक)- I तथा II;
8. उप सी.ए.ओ. (मुख्यालय)-I, II तथा III
9. लेखा अधिकारी (पीई/ आकस्मिकता)/ पीएओ (ईडब्ल्यू);
10. गार्ड फाइल/ ई.ओ. पुस्तक।
11. केवल हिंदी अनुवाद हेतु हिंदी अधिकारी।



**लेखा अधिकारी [एफ एंड ई]**

**दिल्ली विकास प्राधिकरण**